<u>समाचार</u>
जप्त किया गया 50 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक
(निगम के स्वास्थ अमले ने निहारिका क्षेत्र में की कार्यवाही)

कोरबा 10 अप्रैल 2016 – कलेक्टर श्री पी.दयानंद के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की अगली कड़ी में आज 50 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त किया गया। नगर पालिक निगम कोरबा के स्वच्छता विभाग के अमले ने निहारिका क्षेत्र में लगभग 25 दुकानों एवं फल सब्जी विक्रेताओं के ठेलों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक की जप्ती की कार्यवाही की।

निगम के स्वच्छता निरीक्षक कमलेश रात्रे ने बताया कि कलेक्टर श्री पी.दयानंद के मार्गदर्शन एवं निगम आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग आदि के विरूद्ध निगम द्वारा सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज निहारिका क्षेत्र में स्थित किराना दुकानों, फल विक्रेताओं के ठेलों आदि में निगम के स्वच्छता विभाग के अमले ने निरीक्षण की कार्यवाही की। निरीक्षण के दौरान इन दुकानों से लगभग 50 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त किया गया, साथ ही संबंधित दुकानों एवं ठेला, गुमटी में फल सब्जी आदि का विक्रय करने वाले विक्रेताओं को समझाईश दी गई कि वे स्वास्थ के लिए हानिकारक प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग बिलकुल न करें। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग आदि के विरूद्ध यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

<u>प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें</u>– आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक जनसामान्य के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है, साथ ही नगर की साफ–सफाई व्यवस्था व पर्यावरण पर इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किसी हालत में न करें। उन्होने कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरूद्ध यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी, अतः इसका उपयोग कदापि न करें, जप्ती आदि की कार्यवाही से बचे तथा प्रशासन को अपना सहयोग दें।

संपादकव्यूरोचीफ.......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)